

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1935

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

दादरा और नागर हवेली में बिजली की कमी

1935. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में बिजली की कमी की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में उक्त स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) देश में, विशेषकर दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में, बिजली की कमी को कम करने या समाप्त करने लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.819 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 260.784 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष की स्थिति में परिवर्तित हो गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) की अवधि के लिए ऊर्जा की दृष्टि से संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

ये ब्यौरा दर्शाते हैं कि देश में ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है और दोनों के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2019-20 में 0.5% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 0.1% और चालू वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) में लगभग 0.0% हो गया है।

इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक विद्युत की कोई कमी दर्ज नहीं की गई है।

(ग) : विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, भारत सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 526.4 मेगावाट फर्म पावर तथा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से 1,208.7 मेगावाट विद्युत आवंटित की है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने और विद्युत की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

1. उत्पादन योजना:

- (i) वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों - कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन और जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है।
- (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम माँग से आगे बनी रहे, सभी राज्यों ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से अपनी **"संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)"** तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय चल योजनाएँ हैं और जिनमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।
- (iii) सभी राज्यों को अपनी संसाधन पर्याप्तता स्कीमों के अनुसार, सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता सृजन की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।
- (iv) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:
 - (क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम **97,000 मेगावाट** कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस संबंध में कई पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से जून 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की तापीय क्षमताएँ पहले ही चालू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट संकटग्रस्त तापीय विद्युत परियोजनाओं सहित) तापीय क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट तापीय क्षमता के अनुबंध अवार्ड किए जा चुके हैं और इनका निर्माण कार्य पूरा होना है। देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, 35,460 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।
 - (ख) 13,463.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 9802 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएँ नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
 - (ग) 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 74,150 मेगावाट सौर ऊर्जा, 30,080 मेगावाट पवन ऊर्जा और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल हैं, निर्माणाधीन हैं, जबकि 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 46,010 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल हैं, नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8250 मेगावाट/49500 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 5780 मेगावाट/34680 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) संस्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। इनमें से 3500 मेगावाट/21000 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) बोली प्रक्रिया के अधीन हैं और 15,829 मेगावाट/51,106 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण योजना:** अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि की समय-सीमा के अनुरूप इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. वितरण प्रणाली नियोजन:

(i) भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत, विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आईपीडीएस) शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है।

(iii) भारत सरकार, सौभाग्य योजना के दौरान छोटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए, आरडीएसएस के अंतर्गत राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार

आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण हेतु संस्वीकृत किया जा रहा है। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13.59 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,486 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है।

- (iv) केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 22.6 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

4. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा:

- (i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बोलियाँ जारी करने हेतु बोली प्रक्रिया जारी की है।
- (ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं, हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और उसके बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की अवधि वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर दंड लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- (v) ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत क्रय के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

- (viii) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण किया गया है।
- (ix) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु रणनीति" जारी की गई है।
- (x) तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रेजेक्टरी हेतु आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने हेतु, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री को सुगम बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) की शुरुआत की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडबल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता सक्षम होगी।

वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2020-2021 तक की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र /क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020				अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,732	1,732	0	0	1,523	1,523	0	0
दिल्ली	33,086	33,077	9	0	29,560	29,555	4	0
हरियाणा	54,505	54,492	13	0	53,161	53,108	53	0.1
हिमाचल प्रदेश	10,424	10,353	71	0.7	10,186	10,130	56	0.5
जम्मू एवं कश्मीर	20,025	16,259	3,767	18.8	19,773	17,222	2,551	12.9
पंजाब	56,776	56,770	6	0	58,445	58,377	67	0.1
राजस्थान	81,281	81,222	58	0.1	85,311	85,205	106	0.1
उत्तर प्रदेश	1,22,549	1,21,004	1,545	1.3	1,24,367	1,23,383	984	0.8
उत्तराखंड	14,472	14,376	96	0.7	13,827	13,818	8	0.1
उत्तरी क्षेत्र	3,94,851	3,89,285	5,566	1.4	3,96,151	3,92,323	3,829	1
छत्तीसगढ़	30,111	30,107	4	0	30,472	30,449	22	0.1
गुजरात	1,13,940	1,13,939	1	0	1,11,622	1,11,622	0	0
मध्य प्रदेश	76,172	76,172	0	0	83,437	83,437	0	0
महाराष्ट्र	1,55,167	1,55,166	0	0	1,50,679	1,50,663	16	0
दमन और दीव	2,574	2,574	0	0	2,223	2,223	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	6,528	6,528	0	0	5,497	5,497	0	0
गोवा	4,350	4,350	0	0	4,083	4,083	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	3,88,841	3,88,836	5	0	3,88,013	3,87,975	38	0
आंध्र प्रदेश	65,452	65,414	38	0.1	62,080	62,076	4	0
तेलंगाना	68,306	68,303	3	0	66,998	66,994	4	0
कर्नाटक	72,799	72,796	3	0	68,851	68,831	19	0
केरल	26,315	26,265	50	0.2	25,118	25,102	16	0.1
तमिलनाडु	1,08,816	1,08,812	4	0	1,01,194	1,01,189	5	0
पुदुचेरी	2,847	2,846	1	0	2,644	2,644	0	0
लक्षद्वीप (#)	46	46	0	0	56	56	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,44,535	3,44,436	99	0	3,26,885	3,26,836	48	0
बिहार	31,627	31,533	94	0.3	34,171	34,018	153	0.4
झीवीसी	22,429	22,427	2	0	21,368	21,368	0	0
झारखंड	8,941	8,872	69	0.8	9,953	9,675	278	2.8
ओडिशा	29,692	29,692	0	0	29,848	29,848	0	0
पश्चिम बंगाल	52,948	52,824	124	0.2	51,644	51,543	100	0.2
सिक्किम	554	554	0	0	546	546	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	346	323	23	6.7	346	323	23	6.7
पूर्वी क्षेत्र	1,46,191	1,45,902	289	0.2	1,47,530	1,46,999	531	0.4
अरुणाचल प्रदेश	753	749	4	0.5	719	714	5	0.7
असम	9,804	9,288	516	5.3	10,192	9,815	377	3.7

मणिपुर	924	917	6	0.7	974	969	5	0.5
मेघालय	2,112	2,064	48	2.3	2,031	2,005	26	1.3
मिजोरम	647	643	4	0.7	728	723	4	0.6
नागालैंड	814	809	5	0.7	826	822	4	0.5
त्रिपुरा (*)	1,538	1,515	23	1.5	1,484	1,481	3	0.2
पूर्वोत्तर	16,591	15,984	607	3.7	16,955	16,531	424	2.5
अखिल भारतीय	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी /विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,606	1,606	0	0
दिल्ली	31,128	31,122	6	0
हरियाणा	55,499	55,209	290	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,115	12,088	27	0.2
जम्मू एवं कश्मीर	19,957	18,434	1,524	7.6
पंजाब	62,846	62,411	436	0.7
राजस्थान	89,814	89,310	504	0.6
उत्तर प्रदेश	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9
उत्तराखंड	15,521	15,426	94	0.6
उत्तरी क्षेत्र	4,17,934	4,13,915	4,019	1
छत्तीसगढ़	31,908	31,872	35	0.1
गुजरात	1,23,953	1,23,666	287	0.2
मध्य प्रदेश	86,501	86,455	46	0.1
महाराष्ट्र	1,72,823	1,72,809	14	0
दमन और दीव	2,594	2,594	0	0
दादरा और नगर हवेली	6,839	6,839	0	0
गोवा	4,448	4,448	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	4,29,065	4,28,683	383	0.1
आंध्र प्रदेश	68,413	68,219	194	0.3
तेलंगाना	70,539	70,523	16	0
कर्नाटक	72,437	72,417	20	0
केरल	26,579	26,570	9	0
तमिलनाडु	1,09,816	1,09,798	18	0
पुडुचेरी	2,894	2,893	1	0
लक्षद्वीप (#)	56	56	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,50,678	3,50,421	258	0.1
बिहार	36,216	35,761	455	1.3
डीवीसी	23,741	23,736	4	0
झारखंड	11,148	10,590	558	5
ओडिशा	38,339	38,332	7	0
पश्चिम बंगाल	54,001	53,945	57	0.1
सिक्किम	610	609	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	335	327	8	2.3
पूर्वी क्षेत्र	1,64,054	1,62,973	1,081	0.7
अरुणाचल प्रदेश	875	874	1	0.1
असम	10,844	10,825	19	0.2
मणिपुर	1,019	1,018	1	0.1
मेघालय	2,256	2,243	13	0.6
मिजोरम	656	644	12	1.8

नागालैंड	852	851	1	0.1
त्रिपुरा (*)	1,578	1,578	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	18,079	18,033	47	0.3
अखिल भारतीय	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0	1,789	1,789	0	0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0	35,501	35,496	5	0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	4,63,088	4,58,640	4,449	1	4,76,852	4,74,946	1,906	0.4
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0	1,45,768	1,45,740	28	0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,018	10,018	0	0	10,164	10,164	0	0
गोवा	4,669	4,669	0	0	5,111	5,111	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	4,77,393	4,76,808	586	0.1	5,17,714	5,17,301	413	0.1
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0	84,623	84,613	9	0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0	3,456	3,455	1	0
लक्षद्वीप (#)	64	64	0	0	64	64	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,71,467	3,70,900	567	0.2	4,19,531	4,19,293	238	0.1
बिहार	39,545	38,762	783	2	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0	26,560	26,552	8	0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0	544	543	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.18562
पूर्वी क्षेत्र	1,82,791	1,80,888	1,903	1	1,92,013	1,90,747	1,266	0.7
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0
असम	11,465	11,465	0	0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0	1,023	1,008	15	1.5

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
मेघालय	2,237	2,237	0	0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0	684	684	0	0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0
त्रिपुरा (*)	1,547	1,547	0	0	1,691	1,691	0	0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	18,758	18,680	78	0.4	20,022	19,733	289	1.4
अखिल भारतीय	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - जून, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0	555	555	0	0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0	11,303	11,299	4	0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0	18,816	18,757	59	0.3
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	3,387	3,375	11	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	4,853	4,847	6	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0	20,885	20,860	25	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	28,036	28,036	0	0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	46,028	46,022	6	0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	4,426	4,417	10	0.2
उत्तरी क्षेत्र	5,18,869	5,17,917	952	0.2	1,38,697	1,38,576	121	0.1
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	11,474	11,472	2	0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0	41,752	41,752	0	0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	25,168	25,166	2	0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0	52,395	52,393	1	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,852	10,852	0	0	2,845	2,845	0	0
गोवा	5,411	5,411	0	0	1,486	1,486	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	5,28,924	5,28,701	223	0	1,38,472	1,38,466	6	0
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0	20,471	20,471	0	0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0	19,690	19,690	0	0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0	22,945	22,945	0	0
केरल	31,624	31,616	8	0	8,015	8,015	0	0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0	34,817	34,817	0	0
पुदुचेरी	3,549	3,549	0	0	948	946	2	0.2
लक्षद्वीप (#)	68	68	0	0	20	20	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	4,25,373	4,25,349	24	0	1,06,899	1,06,897	2	0
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	12,716	12,713	4	0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0	6,368	6,367	1	0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	3,931	3,930	1	0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	11,830	11,828	2	0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	20,645	20,626	18	0.1
सिक्किम	574	574	0	0	128	128	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	425	413	12	2.9	107	104	3	2.8
पूर्वी क्षेत्र	2,00,180	1,99,806	374	0.2	55,637	55,611	26	0
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0	283	283	0	0
असम	12,843	12,837	6	0	3,506	3,506	0	0

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - जून, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	274	272	2	0.9
मेघालय	2,046	2,046	0	0	494	494	0	0
मिजोरम	709	709	0	0	177	177	0	0
नागालैंड	938	938	0	0	243	243	0	0
त्रिपुरा (*)	1,939	1,939	0	0	512	512	0	0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	20,613	20,596	16	0.1	5,492	5,490	2	0
अखिल भारतीय	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	4,45,197	4,45,040	157	0

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।
